संख्या-622/2025/466/22-2-2025-17(1061)/2019

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी वर्तमान जनपद-गुरूदासपुर (राज्य पंजाब) की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र सं0-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025) दिनांक-29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह, फुलवरिया थाना-पलिया, जनपद-लखीमपुर खीरी, वर्तमान पता-कोटली सूरतमल्ली थाना-कोटली सूरतमल्ली, जनपद-गुरूदासपुर (राज्य पंजाब) का निवासी है। अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनांक 18/19.05.1999 की रात्रि को बन्दी ने अपनी 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-419/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 404 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी के आदेश दिनांक 05.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 17.01.2025 तक 18 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष, 03 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गुरुदास (पंजाब) द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनांक 18/19.05.1999 की रात्रि को बन्दी ने अपनी 01 सहअभियुक्ता के साथ मिलकर चाकू व बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने में सक्षम नहीं होने एवं पुनः अपराध कारित करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी तरसेम सिंह पुत्र सुरजीत सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तरसेम सिंह (बन्दी संख्या-16023) पुत्र श्री सुरजीत सिंह, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी वर्तमान जनपद-गुरूदासपुर (राज्य पंजाब) के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-622/2025/466(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी वर्तमान जनपद-गुरूदासपुर (राज्य पंजाब)।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-622/2025/466/22-2-2025-17(1061)/2019

दिनांक 26 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह, फुलवरिया थाना-पलिया, जनपद-लखीमपुर खीरी, वर्तमान पता-कोटली सूरतमल्ली थाना-कोटली सूरतमल्ली, जनपद-गुरूदासपुर (राज्य पंजाब) का निवासी है। अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनांक 18/19.05.1999 की रात्रि को बन्दी ने अपनी 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-419/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 404 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी के आदेश दिनांक 05.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 17.01.2025 तक 18 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष, 03 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गुरुदास (पंजाब) द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनांक 18/19.05.1999 की रात्रि को बन्दी ने अपनी 01 सहअभियुक्ता के साथ मिलकर चाकू व बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने में सक्षम नहीं होने एवं पुनः अपराध कारित करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी तरसेम सिंह पुत्र सुरजीत सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।